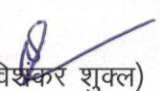
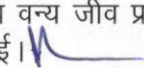


भाग-II

(संबंधित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

प्रस्ताव की राज्य कम संख्या-FP/UP/Approch/149746/2021

7- परियोजना/स्कीम का स्थान (I) राज्य/संघ शासित क्षेत्र (II) जिला (III) वन प्रभाग (IV) वनेत्तर प्रयोग के लिए प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्र (हेक्टेयर में) (V) वन की कानूनी स्थिति (VI) हरियाली का घनत्व (VII) प्रजाति-वार (वैज्ञानिक नाम) और परिधि श्रेणी वार वृक्षों की परिगणना (संलग्न की जाए) । सिचाई/ जलीय परियोजनाओं के संबंध में एफ आर एल, एफ आर एल-2 मीटर पर परिगणना और एफ आर एल-4 मीटर भी संलग्न किए जाय) (VIII) भूक्षरण के लिए वन क्षेत्र की संवेदनशीलता पर संक्षिप्त टिप्पणी (IX) वनेत्तर प्रयोग के लिए प्रस्तावित स्थल की वन की सीमा से अनुमानित दूरी (X) क्या फार्म राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण्य, जैव मण्डल रिजर्व, बाघ रिजर्व, हाथी कोरीडोर, आदि का भाग है। (यदि हाँ क्षेत्र का व्यौरा प्रमुख वन्य जीव वार्डन की टिप्पणियों अनुबन्धित की जायें)। (XI) क्या क्षेत्र में वनस्पति और प्राणिजात की दुर्लभ/ संकटापन्न/विशिष्ट प्रजातियाँ पाई जाती है, यदि हाँ/ तो तत्सम्बन्धी व्यौरा दें। (XII) क्या कोई सुरक्षित पुरात्वीय/पारम्परिक स्थल/रक्षा प्रतिष्ठान और कोई अन्य महत्त्वपूर्ण स्मारक क्षेत्र में स्थित है, यदि हाँ तो तत्सम्बन्धी व्यौरा सक्षम प्राधिकरण अनापत्ति प्रमाण पत्र के साथ, यदि अपेक्षित हो, दें। 8-प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा भाग-1 कालम-2 में प्रस्तावित वन भूमि की आवश्यकता परियोजना के लिए अपरिहार्य और न्यूनतम है यदि नहीं तो जांचे गये विकल्पों के व्यौरों के साथ मदवार संस्तुत क्षेत्र क्या है। 9-क्या अधिनियम के उल्लंघन में कोई कार्य किया गया है।(हां/नहीं) यदि हां तो कार्य की अवधि, दोषी अधिकारियों पर की गयी कार्यवाही सहित कार्य का व्यौरा दें क्या उल्लंघन संबंधी कार्य अभी तक चल रहे हैं।	मैसर्स रिलायन्स बी०पी० मोबिलिटी लिमिटेड द्वारा शाहाबाद-हरदोई राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-731 किमी०-127 (चैनेज-126.654) के मध्य दायीं पटरी पर स्थित ग्राम-शाहाबाद अन्दर तहसील-शाहाबाद जिला हरदोई में प्रस्तावित रिटेल आउटलेट स्थल से मुख्य मार्ग तक पहुँच मार्ग निर्माण से प्रभावित संरक्षित वन भूमि पर गैर वानिकी कार्य की अनुमति के सम्बन्ध में। उत्तर प्रदेश। हरदोई। सा० वा० वन एवं वन्य जीव प्रभाग, हरदोई 0.041228 हे० संरक्षित वन भूमि (मार्ग पटरी)स्वामित्व लो०नि०वि० 0.3 औसत किसी वृक्ष की क्षति नहीं हो रही है। भूक्षरण के लिए संवेदनशील नहीं है। शून्य नहीं। नहीं। नहीं। हाँ प्रस्तावित वन भूमि अपरिहार्य और न्यूनतम है। नहीं।
--	---

10-प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम का ब्यौरा- (I) प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारण वनेत्तर क्षेत्र/अवकमित वन क्षेत्र आस पास के वन क्षेत्र से इसकी दूरी, भू-खण्ड का आकर । (II) प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेत्तर/अवकमित वनेत्तर/अवकमित वन क्षेत्र और आस पास की वन सीमाओं को दर्शाता मैप । (III) रोपित किये जाने वाली प्रजातियों सहित प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के विवरण कार्यान्वयन एजेन्सी, समय अनुसूची लागत ढांचा आदि । (IV) प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के लिए कुल वित्तीय परिव्यय । (V) प्रतिपूरक वनीकरण के लिये अभिनिर्धारित क्षेत्र की उपयुक्तता के बारे में और प्रबन्धकीय दृष्टिकोण से सक्षम प्राधिकरण से प्रमाण पत्र (सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा हस्ताक्षरित किया जायें) 11-जिला वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट विशेषतः उपर्युक्त कालम 7 (XI,XII) 8 और 9 में पूछे गये तथ्यों को दर्शाते हुए (संलग्न करें) 12-विभाग/जिला प्रोफाइल (I) जिले का भौगोलिक क्षेत्र (II) जिले का वन क्षेत्र (III) मामलो की संख्या सहित 1980 से वनेत्तर प्रयोग में लाया गया कुल वन क्षेत्र (IV) 1980 से जिला/प्रभाग ने निर्धारित कुल प्रतिपूरक वनीकरण (क) दण्ड के रूप में प्रतिपूरक वनीकरण सहित वन भूमि (ख) वनेत्तर भूमि पर (IV) तक प्रतिपूरक वनीकरण में हुयी प्रगति (क) वन भूमि पर (ख) वनेत्तर भूमि पर 13-प्रस्ताव को स्वीकार करने अथवा प्रस्ताव को अन्यथा लेने के सम्बन्ध में उप वन संरक्षक की विशेष सिफारिश । तिथि: स्थान-हरदोई	क्षतिपूरक वनीकरण कार्य शाहाबाद-पिहानी मार्ग किमी0-8.0 से 10.0 के मध्य दांयी पटरी पर उपलब्ध रिक्त भूमि पर पटरी वृक्षारोपण कार्य किया जायेगा । वन क्षेत्र से दूरी 08 कि0मी0, भूखण्ड आकार समतल, भूमि सामान्य क्षेत्रफल 0.100 हे0 । प्रस्ताव के पृष्ठ सं0-65 पर संलग्न है । वनखण्ड वृक्षारोपण हेतु प्रजातियों का चयन भूमि वर्ग की उपयुक्तता के अनुसार, कार्यदायी संस्था-सा0वा0 वन एवं वन्य जीव प्रभाग, हरदोई अवधि-2022-23 से 2025-26 तक लागत रु0-248400.0 । रु0-248400.0 प्रस्ताव के पृष्ठ सं0-25 पर संलग्न है । प्रस्ताव के पृष्ठ सं0-28 पर संलग्न है । 5989 वर्ग कि0मी0 119.62 वर्ग कि0मी0 स्वीकृत मामलों की संख्या-46 क्षेत्रफल-35.0342 हे0 शून्य शून्य 388.047 हे0 3283.544 हे0 । वन संरक्षण अधिनियम 1980 के प्राविधानों के अन्तर्गत प्रस्ताव को स्वीकार करने की संस्तुति की जाती है ।  (रविशंकर शुक्ल) प्रभागीय निदेशक, सा0 वा0 वन एवं वन्य जीव प्रभाग, हरदोई ।  प्रभागीय निदेशक प्रभागीय वनिकी वन एवं वन्य जीव प्रभाग हरदोई
---	--